न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 76/2021

उनवान

मालीराम पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ढाणी रामसागर तन परमानपुरा तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर राज0।
गैन्दी देवी पुत्री हीरा पत्नी सुरजा
उमराव पुत्री हीरा पत्नी नारू
नान्छी पुत्री हीरा पत्नी छाजू
सजना पुत्री हीरा पत्नी बहादुर
समस्त जाति जाट हाल निवासी सिंगोद तह0 चौमू जिला–जयपुर, राज0।
आंची देवी पुत्री हीरा पत्नी भगवान सहाय जाति जाट निवासी – खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर, राज0।
पोखरमल पुत्र हुक्मा
बाबूलाल पुत्र हुक्मा
उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रामसागर तन परमानपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
नोहरी देवी पुत्री हुक्का पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर राज0।

–वादीगण

बनाम

लादूराम पुत्र श्योबक्स, जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी ढाणी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0। (फौत)
1/1. प्रकाश
1/2. अमर सिंह
पुत्रान लादूराम समस्त जाति जाट उम्र वयस्क नि0–ढाणी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर, राज0।
1/3. तोफली देवी पत्नि भगवान सहाय पुत्री लादूराम
1/4. श्रवण देवी पत्नि झूथा पुत्री लादूराम
1/5. गोरा देवी पत्नि शैतान पुत्री लादूराम
समस्त जाति जाट उम्र वयस्क हाल निवासी ईटावा भोपजी तहसील चौमू जिला जयपुर, राज0।
1/6. श्रीमती झूथी देवी पत्नि स्व0 लादूराम उम्र वयस्क निवासी परमानपुरा तह0 शाहपुरा जिला, जयपुर।
गुल्ला पुत्र जवाहर
बालू पुत्र ग्यारसा
समस्त जाति जाट निवासी परमानपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अर्जुन पुत्र लालाराम

जाति–जाट निवासी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

सुरजमल पुत्र लालाराम , जाति जाट निवासी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धवली तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा, तिगरिया तह0 चौमू जिला जयपुर, राज0।

प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।

प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।

पटवारी पटवार हल्का म्हार खुर्द तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील अमरसर जिला जयपुर, राज0।

राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व खातेदारी उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956

उपस्थिति

ी अशोक कुमार गुर्जर, वादी की ओर से

ी परसाराम जाट, प्रतिवादी की ओर से

आदेश दिनांक :– 3/4/2024

करण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 26 के हाल खसरा नंबर 1062/2681 500 है0, 1068 रकबा 0.1700 है0, 1070 रकबा 0.1200 है0, 1119 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर बा 1.4400 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1400 है0 वाकै ग्राम परमानपुरा, पटवार हल्का म्हार प0नि0क्षेत्र राडावास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है तथा वर्तमान में खातेदारी ग सं0–1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नंबर 294 रकबा 13 बिस्वा में से हाल सेटलमेंट की कार्यवाही में हाल खसरा नंबर 1068/0.17, 1070/0.12 है0 कबा 0.29 है0 वाकै ग्राम परमानपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर कायम किये गये है, जिस पर े पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त खरीद के समय से अपने उपयोग उपभोग में लेते चले । उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0.17 है0, 1070 रकबा 0.12 है0 साबिक खसरा रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा पक्की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 1 को प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 5 के पूर्वज श्योबक्स व हीरा द्वारा वादीगण के पूर्वज हीरा व क्ष में तस्दीक करवा दिया था एवं बेचान की गयी भूमि का कब्जा खरीददारान को पूर्ण रूप से या था । वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा आराजी मुतनाजा पर खरीद के समय से ही बिना ा के निर्बाध रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा वर्तमान में वादीगण उक्त तनाजा पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का उक्त खरीदशुदा भूमि पर पूर्वजों के ी कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसको वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा ने आराजी मुतनाजा को स्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1971 को प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के पूर्वज श्योबक्स व क्रय पत्र तस्दीक करवाकर क्रय किया था तथा उसी समय आराजी मुतनाजा का कब्जा प्राप्त कर उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण लगातार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। के पूर्वजों ने आराजी को खरीदने के 5–7 दिन बाद खरीद की हुयी आराजी का खाता

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

त्तकरण अपने नाम किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र की प्रति पास रखकर वादीगण के पूर्वजों हीरा व हुक्मा को आश्वस्त कर दिया था कि इसकी दो चार दिन में द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर आपके नाम खोल दूंगा इस पर ण के पूर्वजो ने पटवारी हल्का की बात पर विश्वास कर लिया एवं आराजी मुतनाजा पर अपने ारों के तहत काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व वादीगण के पूर्वज ग्रामीण के व्यक्ति है एवं उन्हें कानून संबंधी जानकारी भी नहीं रही है। वादीगण को खरीद की गयी भूमि स्व रिकॉर्ड की कभी आवश्यकता भी नहीं पडी एवं चूंकि खरीद की गई भूमि पर कब्जा वादीगण का के समय से ही अपने अधिकारों के तहत चला ही आ रहा था इस कारण भी इन्होंने कभी राजस्व की जानकारी भी नहीं करी एवं हल्का पटवारी के बयान पर विश्वास करके वादीगण व उनके पूर्वजों मानकर आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वजों अमलदरामद हो गया है।

वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा ने प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योबक्स व हीरा से जरिये रजिस्टर्ड त्र हाल खसरा नंबर 1068 रकबा 0.17 है0 व खसरा नंबर 1070 रकबा 0.1200 है0 साबिक खसरा 4 में से 1 बीघा भूमि अर्थात 0.25 है0 को मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीद की है तब से ही ा भूमि पर काबिज रहकर काश्त वादीगण के पूर्वजों के समय से ही काश्त उपयोग उपभोग आज ते चले आ रहे है। इस कारण वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1971 के आधार पर रीदशुदा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। सप्ताहभर पूर्व वादीगण रीदशुदा भूमि पर बाजोत कर रहे थे तो प्रतिवादीगण चार पांच अनजान व्यक्तियों के साथ वादीगण खरीदशुदा भूमि की ओर इशारा करते हुये बेचान की बाते कर रहे थे तो वादीगण ने प्रतिवादीगण के यह भूमि हमारी खरीदशुदा भूमि है। इस भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकते तेवादीगण भड़क गये तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि उक्त भूमि हमारे नाम से वर्तमान री भूमि है जिसको बेचने का हमें पूरा अधिकार है और धमकी दी कि शीघ्र ही हम इस भूमि को क्तियों को बेचान करके रहेंगे तथा दीगर व्यक्तियों को उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करवाकर तुम्हें रके रहेंगे, जिस पर वादीगण ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि की जमाबंदी की नकल निकलवाकर जमाबंदी में वादीगण का नाम अंकन नहीं की जानकारी मिली। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने व बेदखल करने की धमकी देने के कारण व वादीगण को में अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने से उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के करना आवश्यक हुआ है।

दि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त वर्णित अवैध मन्सूबों में कामयाब हो गये एवं वादीगण द्वारा तिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई भूमि से जबरन बेदखल स्वयं कब्जा सफल हो गये तथा वादीगण की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1971 के द्वारा भूमि का रहन बय हस्तान्तरण दीगर व्यक्तियों के पक्ष में कराने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार किसी भी धनराशि से सम्मत नहीं कारण प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है एवं वादीगण, ण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा द्वारा प्रतिवादीगण सं0 – 1 लगायत 5 ज श्योबक्स व हीरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1971 के आधार पर खरीदशुदा भूमि ी हाल खसरा नंबर 26 के हाल खसरा नंबर 1068 रकबा 0.1700 है0 व खसरा नंबर 1070 रकबा 0. है0 में से 0.29 है0 में से (0.25 है0) सम्पूर्ण यानि 1 बीघा पक्की भूमि वाकै ग्राम परमानपुरा, पटवार म्हार खुर्द तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 रिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि के कब्जे काश्त योग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करें तथा दीगर व्यक्तियों का बेचान प हस्तान्तरण नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे न ही वे अपने नौकर, सर्वेन्ट, एजेन्ट, उत्तराधिकारियों दीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री परसाराम जाट ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी दावा पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्षों के अभिवचनों आधार पर तनकी कायम की गई।

बर 1 :– आया आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नंबर 294 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा से बरामद जी हाल खसरा नंबर 1068/0.17 है0 व 1070/0.12 है में से एक बीघा यानि 25 एयर भूमि वाकै मानपुरा को वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वजों रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 20.07.1971 मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीदी थी तथा मौके पर रूप से कब्जा प्राप्त कर क्रेतागण काबिज काश्त हुए तथा उनके फूट स्टेप पर वादीगण बतौर काश्तकार निर्विवाद रूप से काबिज रहकर काश्त आ रहे है। –जिम्मे वादीगण

बर 2 :– आया वादीगण के पूर्वजों ने आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाके के ारी हल्का को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति दे दी थी जिस पर उन्हें 5–7 दिन में उनके नाम गई भूमि का खाता खोलने के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन क्रेतागण के नाम आराजी की खातेदारी दर्ज करने के बजाय विक्रेताओं के वारिसान कायम मुकामान प्रतिवादीगण 01 से 05 बिसात के नामान्तरकरण के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी, स्त करवाकर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। –जिम्मे वादीगण

बर 3 :– आया प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड के आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम दर्ज होने यज फायदा उठाकर अन्य किसी दीगर को बेचान करने व वादीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि से करने पर आमादा है, इसलिए उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के वादीगण है। – जिम्मे वादीगण

बर 4 :– आया वादीगण ने मिथ्या व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है, कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है। दावा काबिले खारिज किये जाने योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादीगण 01 से 05

बर 5 :– आया वादीगण के द्वारा लोक सेवकों को दो माह पूर्व नोटिस दिये बिना ही दावा पेश । दावा में इक तरफा छूट प्राप्त की गई है, इसलिए उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिले योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादीगण 01 से 05

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 6 :– आया आराजी मुतनाजा बैंको के रहन है, इसलिए बिना ऋण चुकाए एवं रहन मुक्त हुए
ावा स्वीकार योग्य नहीं है। – जिम्मे प्रतिवादीगण 06 से 09

नंबर 7 :– दादरसी क्या होगी ?

प्रकरण मे वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठीत धारा 151 सीपीसी पेश
जिसक पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन बहस व
न उपरांत पत्रावली जाहिर होता है कि प्रकरण साक्ष्यवादी जिरह वकील प्रतिवादीगण में काफी समय
है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अनावश्यक रूप से लंबित करना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 26
सपठीत धारा 151 सपीसी खारिज गया । दिनांक 30.11.2022 को साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यू 1
से जिरह करवाई गई। दिनांक 04.01.2023 को वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से वकील
की साक्ष्यवादी में जिरह बंद की गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी
लवाये जाने गवाह से जिरह व दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थना–पत्र बाबत् नंबर पर लिये जाने
रा 151 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्रों पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उक्त प्रार्थना–
विधिवत नियमानुसार निर्णय किया गया एवं साक्ष्यप्रतिवादी पेश करने के अंतिम अवसर हेतु
दी गई। दिनांक 06.03.2024 को प्रकरण में वकील प्रतिवादी आदेशिका पर हिदायत पैरवी नहीं
क्षकारों को सूचित करने हेतु अंकन किया। प्रकरण में अदालती नोटिस जारी किये गये। तामील
। अदालती नोटिस तामील होने के उपरांत प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सूचना व
अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
प्रतिवादीगण संख्या 1 के संबंध में तामील कुनिन्दा ने तामिल रिपोर्ट में फौत होना जाहिर किया।
दी ने कायम मुकाम पेश कर संशोधित शीर्षक पेश किया। कायम मुकामान की तामील हेतु नोटिस
। गये। तामील प्राप्त हुई। कायम मुकाम 1/1 लगायत 1/6 बाद तामील अनुपस्थित रहने से
द्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने प्रदर्श 1 (जमाबंदी संवत
7), प्रदर्श 2 (जमाबंदी संवत 2012–2027), प्रदर्श 3 (मिलान क्षेत्रफल अवधि संवत 2012–2027),
मिलान क्षेत्रफल), प्रदर्श 5 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र) एवं साक्ष्य के समर्थन में मालीराम पुत्र हीरा,
हाय पुत्र भूराराम, जगदीश प्रसाद पुत्र दीनाराम, बुद्धाराम पुत्र देवाराम, के शपथ–पत्र पेश किये।

कील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा द्वारा प्रतिवादीगण
लगायत 5 के पूर्वज श्योबक्स व हीरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1971 के
खरीदशुदा भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 26 के हाल खसरा नंबर 1068 रकबा 0.1700 है0 व
र 1070 रकबा 0.1200 है0 में से 0.29 है0 में से (0.25 है0) सम्पूर्ण यानि 1 बीघा पक्की भूमि वाकै
नपुरा, पटवार हल्का म्हार खुर्द तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित भूमि का वादीगण को
काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। साथ ही
ण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की
दशुदा भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं
दीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

कील वादी की बहस को सुना गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली, संलग्न
त, प्रदर्श, शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकी नंबर 1, 2, 3 को साबित करने
न वादी ने प्रदर्श 5 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र) पेश किया। प्रदर्श 5 के अवलोकन से जाहिर होता है

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ादीगण के पूर्वज हीरा व हुक्मा द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज श्योबक्सव हीरा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि है व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के ारी है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तनकी नंबर 1, 2, 3 को साबित करने में सफल रहा तः तनकी नंबर 1, 2, 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी नंबर 4, 5, 6 को साबित करने ील प्रतिवादी असमर्थ रहे है। अतः तनकी नंबर 4, 5, 6 साबित करने में असफल रहने से प्रतिवादीगण रुद्ध निर्णित की जाती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श, शपथ–पत्र का अवलोकन उपरांत ा वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 26 के खसरा नंबर 1068 रकबा 0.1700 है0 व आराजी खसरा नंबर 1070 रकबा 0.1200 है0 कुल किता 2 कबा 0.29 है0 भूमि में से 0.25 है0 अथवा 1 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित ाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो। गण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी भी ी दखलअंदाजी, मदाखलत पैदा नहीं करे व शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री जारी हो। फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

रे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3/4/2024 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

ोठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
ाद पत्र संख्या :– 76/2021

उनवान

. मालीराम पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ढाणी रामसागर तन परमानपुरा तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर राज0।

गैन्दी देवी पुत्री हीरा पत्नी सुरजा

उमराव पुत्री हीरा पत्नी नारू

नान्छी पुत्री हीरा पत्नी छाजू

सजना पुत्री हीरा पत्नी बहादुर

मस्त जाति जाट हाल निवासी सिंगोद तह0 चौमू जिला–जयपुर, राज0।

आंची देवी पुत्री हीरा पत्नी भगवान सहाय जाति जाट निवासी – खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर, राज0।

पोखरमल पुत्र हुक्मा

बाबूलाल पुत्र हुक्मा

ब्र वयस्क जाति जाट निवासी ढाणी रामसागर तन परमानपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

. मोहरी देवी पुत्री हुक्का पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी खेजरोली तह0 चौमू जिला जयपुर राज0।

–वादीगण

बनाम

ादूराम पुत्र श्योबक्स, जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी ढाणी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला यपुर, राज0। (फौत)

/1. प्रकाश

/2. अमर सिंह

ान लादूराम समस्त जाति जाट उम्र वयस्क नि0–ढाणी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जयपुर, राज0।

/3. तोफली देवी पत्नि भगवान सहाय पुत्री लादूराम

/4. श्रवण देवी पत्नि झूथा पुत्री लादूराम

/5. गोरा देवी पत्नि शैतान पुत्री लादूराम

मस्त जाति जाट उम्र वयस्क हाल निवासी ईटावा भोपजी तहसील चौमू जिला जयपुर, राज0।

/6. श्रीमती झूथी देवी पत्नि स्व0 लादूराम उम्र वयस्क निवासी परमानपुरा तह0 शाहपुरा जिला, यपुर।

ल्ला पुत्र जवाहर

ालू पुत्र ग्यारसा

मस्त जाति जाट निवासी परमानपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

र्जुन पुत्र लालाराम

ाति–जाट निवासी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सुरजमल पुत्र लालाराम , जाति जाट निवासी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।
प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धवली तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा, तिगरिया तह0 चौमू जिला जयपुर, राज0।
प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।
प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमू जयपुर।
पटवारी पटवार हल्का म्हार खुर्द तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील अमरसर जिला जयपुर, राज0।
राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

<u>उपस्थिति</u>

श्री अशोक कुमार गुर्जर, वादी की ओर से
श्री परसाराम जाट, प्रतिवादी की ओर से

<u>दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व खातेदारी उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956</u>

आदेश दिनांक :– 3/5/2024

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 6 के आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0.1700 है0 व आराजी खसरा नंबर 1070 रकबा 0.1200 0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि में से 0.25 है0 अथवा 1 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, मदाखलत पैदा नहीं करे व शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

डिक्री आज दिनांक 3/5/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फा0ट्र0क0)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

र्च

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प के लिए स्टाम्प .. रूपये पर प्लीडर की फीस यों के लिए निर्वाह – व्यय नर की फीस शिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	